2020/00186

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
1. श्री इंदर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी 14B मीरा नगर, प्रतापनगर, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) बहैसियत पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री विजय गोपालिया पुत्र श्री भगवानदासजी, निवासी – 3A मोगरावाड़ी, उदयपुर।	जरिये	सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री कैलाश कुमार जाति रावल निवासी पालडी एम

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट** मुकदमा नं. 8 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.06.2020	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पालडी एम के सी. आर. नं. 79 दिनांक 28.05.2020 में उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का टेंकर नम्बर आरजे 27 जीडी 0760 पकडा गया हैं जिसमें 23000 लीटर डीजल भरा हुआ है। उन्हे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही श्री अजय कुमार ओझा को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया । मूल डायरी प्रस्तुत की गई परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 28.05.2020 को वक्त 7.00 ए.एम. पर श्री पूराराम उपनिरिक्षक पुलिस थाना पालडी एम ने उप अधीक्षक पुलिस सिरोही को सूचना दी कि जसनाथ होटल हाईवे नम्बर 62 जो सरहद पालडी एम थाना में स्थित है जहां होटल के बाहर खाली जगह पर एक टेंकर चालक अपने टेंकर की सील तोडकर डीजल चोरी कर रहा है एवं होटल पर उपस्थित टेंकर चालक श्री शैतानदान पुत्र श्री गंगादान जी निवासी बिराई पुलिस थाना बालेसर जि[illegible] कम दाम में बिकी कर रहा है तथा उक[illegible] अवैद्य रूप से खरीद कर सं[illegible] हेतु उच्च दामों में बे[illegible] है कार्रवाई हेतु [illegible] उक्त सूचना मिलने पर मौके [illegible] होटल के पास वाहन सं. आरजे 27 जीडी 0760 [illegible] चेक करने पर उसकी सील टुटी हुई पायी गई और सील के संबंध में श्री शैतानदान पुत्र श्री गंगादान जी निवासी बिराई पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर जो वाहन का चालक है	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से पूछने पर बताया कि उसनें डीजल चोरी करने के लिए टेंकर की सील तोडकर इस टेंकर मे से 35 लीटर डीजल निकाला है मौके पर उपस्थित शैतानदान की तलाशी लेने पर उसकी जेब से तोडी गई सील बरामद की गई तथा चोरी किया गया डीजल मौके पर पास ही रखे 1 लाल रंग के ड्रम जो टेक्टर नं. आरजे 24 आरए 6451 पर रखा हुआ था। में भरा हुआ पाया गया वही पर 25 फिट लम्बा 1 प्लास्टिक का पाईप पाया गया है। 1 बडे ड्रम की क्षमता 200 लीटर की है। जिसे पूछने पर शैतानदान ने बताया कि इस 35 लीटर डीजल के अलावा भी उसने अन्य टेंकरो के चालको से चोरी किया हुआ डीजल होटल मालिक ने क्रय किया है जो उच्च दामों में अन्य लोगो को बेचान किया जाता है। इस प्रकार अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 dh SEC-(2)(i) का उल्लघन है। अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन एवं डीजल आदि के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार एवं श्री नरेंद्र सिंह देवड़ा व सरकार पक्ष की ओर से श्री अजय कुमार ओझा अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री शैतानदान पुत्र श्री गंगादान जी निवासी बिराई पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर हमेशा की तरह वाहन में डीजल भरकर कम्पनी के प्रेट्रोलपम्प जो सरहद थाना पालडी एम में अवस्थित है पर खाली करने हेतु जा रहा था । रास्ते में के पास पालडी एम ग्राम की सरहद में पुलिस ने उसके वाहन को रोककर जांच की तो उसमें 23000 लीटर डीजल पाये जाने पर वाहन एवं डीजल को कब्जे सरकार लिया गया । प्रार्थी वाहन का एक मात्र पंजीकृत स्वामी है । वाहन के थाने में पडे रहने से उसका रंगरोगन खराब हो जायेगा एवं डीजल खराब हो जायेगा जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी । पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है । इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on sup[illegible] Petitioner is registered dealer in petrolieum [illegible] No useful purpose will be served [illegible] keep the tanker lying under open place at po[illegible]tation Held, truck be rel[illegible] on the condition of furni[illegible] of Rs 50000 with one surety.**

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः वाहन जमानत एवं सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

श्री अजय कुमार ओझा अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि वाहन चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में डीजल एवं वाहन को जमानत एवं सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना पालडी एम के मुकदमा संख्या 79 दिनांक 28.05.2020 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में एक टाटा टेंकर एलपीटी 2818 वाहन संख्या आर.जे. 27 जीडी 0760 में डीजल 23000 लीटर एवं एक टेक्टर आरजे 24 आरए 6451 को कब्जे सरकार लिया गया है । उसे जमानत एवं सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम के एफ आई आर कमांक 79 दिनांक 28.05.2020 एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्येापान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूचता हूँ कि पुलिस द्वारा टाटा टेंकर एलपीटी 2818 वाहन संख्या आर. जे. 27 जीडी 0760 में 35 लीटर डीजल चोरी करते हुये पाये जाने पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है । वाहन को जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है एवं उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए एवं डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से उसका अंतरिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2[illegible]ded on 27th Oct., 2006 Code of Crimin[illegible] Pro[illegible]ure, 1973-Sec. 451/457- Tanker Sezied ca[illegible] 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama- Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose [illegible] be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

का सम्मान करते हुए टेंकर वाहन संख्या आरजे 27 जीडी 0760 को रूपये 24,00000/–रू एवं ट्रेक्टर वाहन संख्या आरजे 24 आरए 6451 को रूपये 4,00000/–रू की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है । वाहन में भरे हुए डीजल एवं ड्रम में भरे हुए डीजल एवं जरीकन में भरा डीजल जल्द ज्वलनशील होने वाली वस्तु हैं, जिसका अन्तरिम निस्तारण करना आवश्यक हैं ।

अतः जिला रसद अधिकारी सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 23000 लीटर डीजल जो टेंकर वाहन संख्या आरजे 27 जीडी 0760 एवं एक ड्रम में एवं में भरा हुआ 35 लीटर डीजल है को नियमानुसार लाईसेंस होल्डर डीलर/पेट्रोलपंप डीलर को कम्पनी दर पर दिलवा कर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष में जमा करावे । एवं टेंकर की सील, डीजल निकालने के उपकरण किप व नली जो पुलिस थाना पालडी एम में पडा हैं, को नियमानुसार मुकदमे के निस्तारण तक बतौर साक्ष्य सबूत पुलिस थाना पालडी एम में रखे जावें।

साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान यथाशीघ्र सम्पन्न किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे एवं केस डायरी के अवलोकन से एवं परिवाद के अवलोकन से पाया जाता है कि वाहन मालिक एवं डीजल मालिक को पक्षकार नही बनानें के लिए पुलिस अधीक्षक सिरोही के मार्फत अपना स्पष्टीकरण आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.07.2020 से पूर्व पेश कर संशोधित अनवान/इस्तगासा प्रस्तुत करे ।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके पंजीकृत स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को भिजवाई जावे एवं कुल डीजल 23000 एवं 35 लीटर को अंतरिम निस्तारण कर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष में जमा करा कर चालान की प्रति तारीख पेशी दि[illegible] 07.2020 से पूर्व प्रस्तुत करने हेतु [illegible] पत्र दर्ज रजिस्टर होकर [illegible] शुमार हो एवं [illegible] से कम होकर मूल पत्रावली के [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:05 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

10.06.2020

माफिक आदेश प्रार्थी श्री इंदर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति राजपूत आयु बयस्क निवासी 14B मीरा नगर, प्रतापनगर, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) बहैसियत पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री विजय गोपालिया पुत्र श्री भगवानदासजी, निवासी – 3A मोगराबाड़ी, उदयपुर। द्वारा सुपुर्दगीनामा एवं श्री केशर सिंह पंवार पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी गिर्वा, उदयपुर द्वारा जमानतनामा हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत किया । टेंकर वाहन नम्बर आरजे 27 जीडी 0760 की जमानत एवं सुपुर्दगीनामा रूपये 24,00000/– (अक्षरे रू. चौबीस लाख) स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है एवं टेक्टर नं. आरजे 24 आरए 6451 का सुपुर्दगीनामा श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री कैलाश कुमार जाति रावल निवासी पालडी एम द्वारा जमानतनामा श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री कैलाश कुमार जाति रावल निवासी पालडी एम हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत किया । ट्रेक्टर वाहन नम्बर आरजे 24 आरए 6451 की जमानत एवं सुपुर्दगीनामा रूपये 4,00000/– (अक्षरे रू. चार लाख) स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम वाहन के पंजीकृत स्वामी को वाहन सुपर्द कर रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय में पेश करें। पत्रावली मूल प्रकरण संख्या 6/2020 के साथ नत्थी होकर दाखिल दप्तर हो।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

क्रमांक : कोर्ट/2020/ दिनांक : 10.06.2020

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. जिला रसद अधिकारी, सिरोही ।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner